/

ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(2)(3)/रोल/निर्वा/2012/ जयपुर, दिनांक :–

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर),राजस्थान।

विषयः– ई–मित्रा के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में ई–मित्रा के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुडवाने, विलोपन करवाने, मतदाता की प्रविष्टि में संशोधन हेतु एवं मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से विभाग ने 01 अगस्त 2016 को राज्य सरकार के उपक्रम राजकाम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) से एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया था।

राजकाम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) ने अपने स्तर पर राज्य में उक्त व्यवस्था प्रारम्भ कर दी है। ई–मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वतः ही सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास ऑनलाईन ई.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त हो रहे है। इस प्रकार ई.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर में निम्न तीन माध्यमों से आवेदन प्राप्त हो रहे है, जिनका उनके फार्म नम्बर से वर्गीकरण किया जा सकता हैः–

क्र.स.	आवेदन प्राप्त होने का माध्यम	फार्म का प्रकार
1	बी.एल.ओ. के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन	**2017BLS**
2	NVSP के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऑनलाईन आवेदन	15---------- 14-------etc.
3	ई–मित्र के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऑनलाईन आवेदन	2017EMS

अतः ई–मित्रा के माध्यम से प्राप्त उक्त आवेदनों का निस्तारण भी प्राथमिकता के आधार पर उसी प्रकियानुसार किया जावे जिस तरह NVSP पोर्टल से प्राप्त अन्य ऑनलाईन आवेदन पत्रो का किया जाता है।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों को राज्य के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना तथा इनकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Sd/-
(डॉ. रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(2)(3)/रोल/निर्वा/2012/ 601 जयपुर, दिनांक :– 30-1-2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त अधिकारीगण निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (IT) निर्वाचन विभाग, राज. कृपया विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर